

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवरथी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ:: दिनांक 24 नवम्बर, 2010

विषय:- सुख-साधन कर तथा पर्यटक सांख्यिकी को आन-लाइन किये जाने हेतु साफ्टवेयर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-1249/15-1-482 (6)/सु0स0कर/टी0टी0/2010, दिनांक-30 सितम्बर, 2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में सुख-साधन कर तथा पर्यटक सांख्यिकी को आन-लाइन किये जाने हेतु साफ्टवेयर विकसित किये जाने के लिए रू0-78,313.00 (रूपये अठहत्तर हजार तीन सौ तेरह मात्र) धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्धारित मानको/नियमों के अन्तर्गत संक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
5. धनराशि का उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

6. यदि कोई धनराशि बचती है अथवा किन्हीं कारणों से उपयोग सम्भव न हो तो उसे तत्काल यथावश्यक राजकोष में जमा कराने/समर्पित करने की कार्यवाही की जाय।

3- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो उनका दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करा दें।

4- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप आने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय - व्ययक के अनुदान संख्या - 44 के लेखाशीर्षक - 3452 - आयोजनागत - पर्यटन-80-सामान्य - 800 अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रचार-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1199/दस/2010 दिनांक- 16 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

संख्या-3147 (1)/41-2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, सिविल आडिट, उ0प्र0, सत्यनिष्ठा भवन, 15 ए दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियन्त्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त व्यय नियन्त्रक अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
5. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0के0सिंह)
विशेष सचिव